



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक -03.09.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 573/24 धारा 140(1)/238/103(1) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 हत्यारोपी अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशादेही पर मृतक का शव, मृतक का मोबाईल फोन व एक जोड़ी चप्पल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.08.2024 को थाना बडौत पर वादी श्री अमित कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र निवासी दिल्ली अड्डा चिकारा रेडीमेड गारमेन्ट कस्बा बडौत थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसकी गारमेन्ट्स की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी शहजाद पुत्र हबीब निवासी मौ0 शौरगिरान कस्बा बडौत काम खत्म हो जाने के बाद दुकान से अपने घर जाने के लिए निकला था, लेकिन वह अपने घर नहीं पहुंचा जो कि काफी तलाश के बाद नहीं मिला । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 573/24 धारा 140/(3) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया एवं विवेचना व साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रारंभ की गयी ।



नोट- उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान अभियुक्त सूरज पुत्र ब्रजपाल निवासी आजाद नगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत का नाम प्रकाश में आया तथा अभियोग को धारा 140(3) बीएनएस से धारा 140(1)/238/103(1) बीएनएस में तरमीम किया गया है।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 573/24 धारा 140(1)/238/103(1) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 हत्यारोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशादेही पर मृतक का शव, मृतक का मोबाईल फोन व एक जोड़ी चप्पल बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



पूछताछ विवरण -

गिरफ्तार अभियुक्त सूरज ने पूछताछ पर बताया कि वह मृतक शहजाद को पहले से जानता था। दिनांक 29.08.2024 की रात्रि समय करीब 09.00 बजे वह मृतक शहजाद से रेलवे स्टेशन के बाहर तिराहे पर मिला था तथा दोनों पुराने रेलवे माल गोदाम की ओर कच्चे रास्ते के किनारे पड़े रेलवे की गाटरों पर बैठ गये थे। मृतक शहजाद ने अभियुक्त सूरज की जेब में रखे पैसे निकाल लिये थे। अभियुक्त सूरज ने उससे अपने पैसे मांगे तो मृतक शहजाद ने पैसे नहीं दिये, इसी बात को लेकर दोनों में बहस व कहासुनी हो गयी थी। अभियुक्त सूरज ने गुरसे में आकर शहजाद के सिर को पास में रखे गाटर पर मार दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। पकड़े जाने के डर से अभियुक्त सूरज ने शहजाद के शव को गाटरों के पास खड़ी झाड़ियों में छिपा दिया था तथा शहजाद का मोबाइल निकालकर स्विच ऑफ कर मोबाइल अपने साथ लेकर अपने घर पर आ गया था।

बरामदगी का विवरण-

- मृतक का शव।
- मृतक का मोबाईल फोन।
- मृतक की एक जोड़ी चप्पल।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पता-

सूरज पुत्र ब्रजपाल निवासी आजाद नगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री संजय सिंह पूनियाँ थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री मंयक प्रताप सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 542 अशोक कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6-का0 621 प्रदीप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 7-का0 970 रोहित अत्री थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 8-का0 989 ललित यादव थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 03.09.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 653/24 धारा
309(4)/351(2)61(2)317(2)/140(1)/62 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट से
सम्बन्धित अभियुक्तों को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर
अभियुक्तों की निशादेही पर घटना में लूटे गये रूपयों में से 1,50,000 रुपये नगद एवं
01 मंगलसूत्र पीली धातु बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में
अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये
जा रहे अभियान के अन्तर्गत
थाना कोतवाली बागपत पुलिस
द्वारा थाने के मु0अ0सं0 653/24
धारा

309(4)/351(2)61(2)317(2)

/140(1)/62 बीएनएस व 4/25

आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तों को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर
लेकर अभियुक्तों की निशादेही पर घटना में लूटे गये रूपयों में से 1,50,000 नगद एवं 01
मंगलसूत्र पीली धातु बरामद हुआ है ।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक
विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पुलिस अभिरक्षा में लिए गए अभियुक्तों का नाम व पता-

1-मुजम्मिल उर्फ मज्जू पुत्र पप्पू निवासी मौहल्ला माता कालोनी करबा बागपत थाना
कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



2-अमन उर्फ सैफू पुत्र शौकत निवासी मौहल्ला माता कालोनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-फहीम उर्फ गुड्डू पुत्र मेराज उर्फ गुल्लू निवासी मौहल्ला मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

4-रिहान पुत्र शमशेर निवासी मौहल्ला मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

नोट- उक्त अभियोग में पूर्व में लूटे गये रूपयो में से अभियुक्त 1-मुजम्मिल से 60,500 रुपये, 2- फहीम उर्फ गुड्डू से 50,000 रुपये, 3- रिहान से 51,750 रुपये व 4-अमन उर्फ फैजू से 12500/- रुपये बरामद किये जा चुके हैं ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में लूटे गये रूपयो में से 1,50,000 रुपये ।
- एक मंगलसूत्र पीली धातु ।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री दीक्षित कुमार त्यागी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-व0उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 168 गौरीशंकर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-का0 595 आजाद कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 6-का0 846 नरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 7-का0 556 इलियास थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 8-का0 369 विशाल पंवार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक -03.09.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 170/24 धारा 147/148/149/307/504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.03.2024 को थाना बडौत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लोयन में शिव मन्दिर के पास 1-प्रथम पुत्र राजीव, 2-हर्ष पुत्र बिन्दर व कुछ अज्ञात लड़के अपने-अपने हाथों में लिए हुए लाठी-डण्डे, धारदार हथियार लेकर मारपीट व गाली-गलौच तथा जान से मारने की धमकी देते हुए आपस में भीड़ रहे थे । पुलिस व



जनता के लोगों ने समझाने का प्रयास किया, नहीं माने और झगडा करने लगे । इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 170/24 धारा 307/504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया ।

नोट- उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 147/148/149 भादवि की वृद्धि की गयी ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 170/24 धारा 147/148/149/307/504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

हर्ष कुमार पुत्र वीरेन्द्र निवासी ग्राम सिलाना थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री सागर सिंह थाना बडौत ।

2-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत ।

3-है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत ।





प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 03.09.2024

थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी का नाम व पता-

नरेश पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री ओमपाल सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का0 801 भूपेन्द्र सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-हो0गा0 512 रोशनलाल थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 03.09.2024

थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी का नाम व पता-

नरेश पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री ओमपाल सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का0 801 भूपेन्द्र सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-हो0गा0 512 रोशनलाल थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 03.09.2024

थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी का नाम व पता-

नरेश पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री ओमपाल सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का0 801 भूपेन्द्र सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-हो0गा0 512 रोशनलाल थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकड़ा

दिनांक 03.09.2024

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 275/24 धारा 191(1)/131/352/
351(2)/296 बीएनएस से सम्बन्धित 03 बाल अपचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते
हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 275/24



धारा 191(1)/131/352/351(2)/296 बीएनएस से सम्बन्धित 03 बाल अपचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सोहेल पुत्र सलीम निवासी मौहल्ला शेखपुरा करबा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-जावेद पुत्र बल्लू निवासी मौहल्ला शेखपुरा करबा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-म0उ0नि0 यूटी राधा चौधरी थाना खेकड़ा ।
- 2-का0 1075 मनीष कुमार थाना खेकड़ा ।
- 3-का0 555 रवि चौधरी थाना खेकड़ा ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 03.09.2024

थाना बडौत पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1-रामकुमार पुत्र पीतम सिंह निवासी निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-सुमित पुत्र वेदू उर्फ वेदप्रकाश निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत।

3-राजीव पुत्र चरण सिंह निवासी मौ० पट्टी देशू बावली थाना बडौत जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री रोहित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-उ०नि० श्री सन्नी कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

3-उ०नि० श्री नवनीत कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

4-है०का० 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।

5-का० 194 तरुण कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

6-का० 463 पवन नागर थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 03.09.2024

थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी का नाम व पता-

नरेश पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री ओमपाल सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का0 801 भूपेन्द्र सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-हो0गा0 512 रोशनलाल थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 03.09.2024

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 245/24 धारा 304 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से छीना हुआ मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.09.2024 को वादी श्री जितेन्द्र पुत्र श्री सियानन्द निवासी ग्राम कन्डेरा थाना रमाला जनपद बागपत ने सूचना दी कि बिजरौल से कन्डेरा रोड नहर पुल के पास एक अज्ञात व्यक्ति उसका फोन झपट्टा मारकर हाथ से छीनकर भाग गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 245/24 धारा 304 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 245/24 धारा 304 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से छीना हुआ मोबाइल फोन बरामद हुआ है ।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आशु उर्फ मुस्तफा पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- छीना हुआ एक मोबाइल फोन ।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1-उ०नि० श्री श्याम सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 164 विकास कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का० 19 सोनित थाना रमाला जनपद बागपत ।

